

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या—३११ / २०१९

तरुण प्रामाणिक और अन्य

..... याचिकाकर्त्तागण

बनाम

राज कुमार अग्रवाल और अन्य

..... विपक्षी गण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के० गुप्ता

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए :

०५ / दिनांक : 20.09.2019

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना और रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट का अवलोकन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य मुख्तारनामा लखन चंद्र प्रमाणिक के नाम पर निष्पादित किया गया था और याचिकाकर्ता लखू चंद्र प्रमाणिक है। अटॉर्नी धारक के नाम में विसंगति के कारण सामान्य मुख्तारनामा को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

विद्वान अधिवक्ता मुख्तारनामा धारक के नाम के संबंध में आवश्यक सुधार करने तथा एक हलफनामा दायर करने के लिए समय देने के लिए प्रार्थना करते हैं।

2. यह सी0एम0पी0, सी0एम0पी0 सं0-316/2018 की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे दिनांक 12.04.2019 के आदेश से गैर अभियोजन के वजह से खारिज कर दिया गया था।
3. सुना। सहायक हलफनामे के पैरा 5 से 9 में बताये गए कारणों के मद्देनजर, पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तदनुसार सी0एम0पी0 सं0-316/2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
4. सी0एम0पी0 सं0-311/2019 की अनुमति है।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्यायाल)